



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7149

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44832 / 2025

विकास यादव

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता:

: कपिल देव, परमेश्वर यादव, उत्तम कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम कुमार तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक विकास यादव की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 175 सन् 2025, धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना उटरांव, जनपद इलाहाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। पाँच आपराधिक मामलों के पूर्ववृत्त का समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है तथा उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित गैंग की गतिविधियों में किसी प्रकार की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहायता या उकसाहट नहीं की है। उपर्युक्त मामलों को छोड़कर आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 29.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है, यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा बताए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया।

अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति तथा साक्ष्यों पर विचार करते हुए, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय पाता है कि यह जमानत दिए जाने का उपयुक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि आवेदक **विकास यादव** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, उसके द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का खुलासा करने से रोक सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत/आतंकित नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (i) मामले के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के समय।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का एक प्रतिज्ञान प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए तिथियाँ निर्धारित हों और गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

12 जनवरी 2026

दीपक/